न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां के

भोपतपुरा बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–2/2017 दायर तारीख 06.01.2017

1. मांगीलाल पिता ठाकूर जाति बंजारा उम्र बालिंग पेशा खेती निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
2. सीता पिता ठाकूर जाति बंजारा उम्र बालिंग पेशा खेती निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
3. धापु पिता ठाकूर जाति बंजारा उम्र बालिंग पेशा खेती निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
4. स्वरुपी पिता ठाकूर जाति बंजारा उम्र बालिंग पेशा खेती निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
5. गमु पिता ठाकूर जाति बंजारा उम्र बालिंग पेशा खेती निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
6. मनभरी पिता ठाकूर जाति बंजारा उम्र बालिंग पेशा खेती निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

..............वादीगण

<u>बनाम</u>

1. होकमा पिता पन्ना जाति बंजारा उम्र बालिंग निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
2. लादु पिता परथी जाति बंजारा उम्र बालिंग निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
3. बापू पिता देवा जाति बंजारा उम्र बालिंग निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
4. भंवरलाल पिता दरबार जाति बंजारा उम्र बालिंग निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
5. करणसिंह पिता दरबार जाति बंजारा उम्र बालिंग निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
6. गोरु पिता दरबार जाति बंजारा उम्र बालिंग निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

सुनिल जोशी अधिवक्ता वादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 रा0टि0एक्ट0

दिनांक 15.06.2018

:–निर्णयः–

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 केम्प भोपतपुरा पर पेश हुई। वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरुद्व प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया की ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 भोपतपुरा तहसील बिजौलियां की शरहद में वादीगण की खातेदारी कब्जेशुदा आराजीयात खाता सं0 46 होकर ख0सं0 10 रकबा 4–08 बीघा, 85 रकबा 1–13 बीघा कुल किता 2 रकबा 06–01 बीघा भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की उक्त खातेदारी कब्जेशुदा आराजीयात के आ0सं0 10 व 85 रकबा 06–01 बीघा में जबरन अनाधिकृत प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया वादीगण द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम अपनी आराजीयात पर पत्थरगढी करवा लो हमारा कब्जा नाजायज निकला तो हम कब्जा छोड देंगे इस प्रकार दिनांक 06.06.
... बिजौलियां के आदेश क्रमांक 14/73

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

आ0सं0 10 में 4 बीघा भूमि पर प्रतिवादी का कोई हक अधकार नही होकर प्रतिवादी केवल अतिक्रमी है। वादीगण ने प्रतिवादी से दिनांक 05.06.2015 को कब्जा हटाये जाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी कब्जा छोडने से इंकार हो गये व लडाई झगडा करने लग गये तथा प्रतिवादी ने वादीगण को झुठे मुकदमें में फसाने की धमकी दी इसलिये मजबुरन वादीगण को प्रतिवादी के विरुद्व यह बेदखली का वाद पेश करना पड रहा है। जमीन का कब्जा पुनः प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे। कब्जा प्राप्ति तक मुआवजा भी वादीगण प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण को वाद हेतु अप्रेल 2015 से जब से प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा किया व पत्थरगढी दिनांक 05.06.2015 करवाकर जब वादीगण ने कब्जा छोडने बाबत प्रतिवादीगण से निवेदन किया तब से उत्पन्न होकर सतत् रुप से जारी है। वादीगण ने अनुतोष चाहा कि बेदखली की डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे कि मौजा ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 भोपतपुरा में स्थित आ0सं0 10 रकबा 4 बीघा भूमि कब्जेशुदा आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा पुनः वादी को सिपूर्द कराया जावे। वादपत्र पेश करने से कब्जा दिलाने तक लगान का 50 गुणा मुआवजा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अतः वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण बावजूद सुचना गैर हाजिर रहने से दिनांक 09.01.2018 को एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 नक्शा ट्रेस , मौका पर्चा, पत्थरगढी की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू I मांगीलाल पिता ठाकूर बंजारा निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया कि ग्राम गोरधनपरुा में 6 बीघा 1 बिस्वा जमीन स्थित है इस पर होकमा, लादु, बापू, भंवरलाल, करण, गोरु ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। पत्थरगढी करवाई गई। मौका पर्चा एक्स पी–1 है। जिस पर प्रतिवादीगणों का कब्जा अवैध रुप से पाया गया। जमीन की नकल जमाबंदी एक्स पी–2 है। पत्थरगढी मोका रिपोर्ट में अतिक्रमण का आराजी नं0 10 में 4 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। वर्ष 2015 में कब्जा छोडने की कहा लेकिन मना कर लडाई झगडा करने लगे। इसिलिये यह दावा पेश किया। प्रार्थी की भूमि आराजी नं0 10 रकबा 4 बीघा भूमि कब्जे शुदा आराजी से प्रतिवादीगणों को बेदखल किया जाकर हम वादी को कब्जा दिलाया जावे 50 गुणा मुआवजा भी दिलाया जावे। वादकारण दिनांक 05.06.2015 को पत्थरगढी कराई तभी से उत्पन्न हो सतत् रुप से जारी हैं मुझे मेरी जमीन खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर कब्जा दिलाया जावे एंव उचित मुआवजा जो भी हो न्यायहीत में दिलाया जावे। प्रतिवादीगणो को मेरे कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू II सीता पिता ठाकूर बंजारा निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया गया कि मे ग्राम गोरधनपुरा में 6 बीघा 1 बिस्वा जमीन स्थित है इस पर होकमा, लादु, बापू, भंवरलाल, करण, गोरु ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। पत्थरगढी की उसकी भी मुझे जानकारी है। कब्जा अवैध रुप से कर रखा हैं। प्रतिवादीगणों ने आराजी नं0 10 में से 4 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। पत्थरगढी करवाई तब मौके पर 4 बीघा भूमि पर

वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है उनकी वहा कोई खातेदारी भूमि नही है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में लडाई झगडा किया तथा वादीगण उसकी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जाना उचित होगा।

वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रकरण एकपक्षिय होने से बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन करते हुये वादपत्र को डिक्री की जाने की मांग की है। मौजा ग्राम गोरधपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा की आराजी नं0 10 रकबा 4 बीघा भूमि से उनके कब्जे के अनुसार प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे एंव वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा पुनः वादी को सिपुर्द किया जावे। हमने प्रदर्श स्वरुप सीमाज्ञान के पर्चे की नकल पेश की गई है। वादपत्र की ताहिद में स्वयं के बयान करवाये है। वादपत्र डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया ।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 46 पर अंकित ग्राम गोरधनपुरा नकल जमाबंदी ई एक्स पी–2 के अवलोकन से मांगीलाल, सीता, कमाली, धापू , स्वरुपी ,गमू, मनभरी पिता ठाकूर मांगीलाल, गमु, मनभरी नाबालिग संरक्षक बहिन सीता गंवार बंजारा के नाम पर आराजी नं0 10 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नं0 85 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किता 2 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा की खातेदार है। ई एक्स पी–1 के अवलोकन से मौके पर आराजी नं0 10 में से 4 बीघा भूमि पर अन्य उपरोक्त व्यक्ति बालू पिता देवा, लादु पिता पृथ्वी, होकमा पिता पन्ना बंजारा साकिन गोरधपुरा का कब्जा पाया गया है। भूमि मे वादीगण जमाबंदी अनुसार सहखातेदार है। ई एक्स पी–1 से प्रतिवादीगण ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है जो बेदखल होने योग्य है। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर ग्राम गोरधपुरा स्थित आराजी नं0 10 रकबा 4 बीघा भूमि से बालू पिता देवा, लादु पिता पृथ्वी, होकमा पिता पन्ना बंजारा साकिन गोरधपुरा का कब्जा हटवाया जाकर भूमि जमाबंदी में दर्ज समस्त सहखातेदारो को सुपुर्द की जावे। साथ ही लगान का 50 गुणा राशि कब्जा सिपुर्दगी तक प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे। वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल नही करे न अन्य से करावे। खर्चा अपना–अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 15.06.2018 को मुकाम भोपतपुरा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

15/06/18